

24.2.18

राज्य द्वारा एडिजिटींग और


अभियुक्त अनु०।

माननीय उच्च न्यायालय
खण्ड पीठ जमानिया को भेजे गये अनुरोध
पत्र क्र० 57/18 दि० 25/1/18 के अनुषंग
में स्पीड पोस्ट क्र० RI4294/4384IN
के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय
का पत्र क्र० 1028/R.R.(D) दि० 9.2.18
एवं माननीय उच्च न्यायालय के आपराधिक
द्वितीय क्र० 396/15 में पारित आदेश दि०
19.4.2017 की प्रतिलिपि (सत्यापित)
प्राप्त हुआ था।

आदेश दि० 19.4.17 के द्वारा
उक्त न्यायालय में माननीय जज
जीएफके खानवर क्र० 222/15 में प्रति

Order Sheet [Contd]

Case No. Ret. 190 of 20 15

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>निर्णय दि 16-4-15 के पेशाने 33 को अपालन करते हुए अपीलार्थी / अभिपुस्त जगदीश सिंह नामधारी के विरुद्ध इस प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही के अभिलेखि कर दिया गया है।</p> <p>अतः प्रकरण में अभिपुस्त के विरुद्ध कार्यवाही का और लेखित करने का कोई औचित्य नहीं है। अभिपुस्त के विरुद्ध कार्यवाही अभिलेखित करने का प्रभाव दोषमुक्ति का होगा।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर संचयन हेतु अभिलेखित किया जाएगा।</p> <p style="text-align: right;">  <u>24/8/18</u> गृह नामिक बजिस्टर प्रथम वर्ग महानगर </p>	